



INDIA NON JUDICIAL



IN-UP02086646871905V

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp



Certificate No. : IN-UP02086646871905V
 Certificate Issued Date : 30-Aug-2023 05:43 PM
 Account Reference : NEWIMPACC (SV)/ up14560404/ LUCKNOW SADAN
 Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUP1456040499747380079869V
 Purchased by : BRIJESH VERMA
 Description of Document : Article 4 Affidavit
 Property Description : Not Applicable
 Consideration Price (Rs.) :
 First Party : BRIJESH VERMA
 Second Party : Not Applicable
 Stamp Duty Paid By : BRIJESH VERMA
 Stamp Duty Amount(Rs.) : 100
 (One Hundred only)



Please write in type below this line

Sworn and Verified Before Me

SURESH KUMAR
 Advocate & Notary Public
 417/175KV/14, Near Major Devi Das Marg
 Niwajganj, Chowk, Lucknow

Statutory Alert:

1. The authenticity of the Stamp Certificate issued by using e-Stamp System can be verified at www.eStampSystem.gov.in using e-Stamp/Stamp App of BlackBerry/Any Smartphone or Not Notary for this Certificate and are available on the website / Mobile App version 4.0 or later.
2. The steps of checking the authenticity are on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy you can file the complaint directly.

शपथ पत्र - अ

हम सुधा एवं बृजेश वर्मा क्रमशः अध्यक्ष एवं सचिव श्री पुतू लाल एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी ग्राम-मेहनीखेड़ा पोस्ट-पुरवावाँ ब्लॉक-मल्लावाँ तहसील-बिलग्राम जिला-हरदोई शपथपूर्वक निम्नवत बयान करते हैं -

1-यह कि, हमारी सोसाइटी द्वारा सौम्या कॉलेज ऑफ फार्मसी ग्राम-कवीरपुर पोस्ट-खम्मौली बांगरमऊ, उन्नाव नामक डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थान की स्थापना सत्र 2023-24 में किया जाना प्रस्तावित है।

2-यह कि, हमारी सोसाइटी के नाम लीज पर ग्राम-कवीरपुर पोस्ट-खम्मौली बांगरमऊ, उन्नाव में गाटा संख्या (158,1588)(1577 1578 1589 एवं 1580) रकबा क्रमशः 0. 5420 हेक्टेयर और 1.2430 हेक्टेयर का आधा भाग 0.6215 हेक्टेयर में से कुल रकबा 1.1635 हेक्टेयर भूमि है।

3-यह कि, उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी वाद विवाद किसी भी न्यायालय में नहीं चल रहा है, और भूमि विवाद रहित है।

4-यह कि, उपरोक्त पते पर सोसाइटी के नाम उपलब्ध भूमि के गाटा संख्या (158,1588)(1577 1578 1589 एवं 1580) रकबा क्रमशः 0. 5420 हेक्टेयर और 1.2430 हेक्टेयर का आधा भाग 0.6215 हेक्टेयर में से कुल रकबा 1.1635 हेक्टेयर पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थान की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव सोसाइटी की बैठक दिनांक 15/08 /2020 द्वारा पारित किया गया है।

5-यह कि, उपरोक्त भूमि पर ही प्रश्नगत डिप्लोमा फार्मसी संस्थान के संचालन हेतु भवनों का निर्माण अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया गया।

6-यह कि, निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पते पर सोसाइटी के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्धारित भवनों को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।

7-यह कि, इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर फार्मसी काउंसिल आफ इंडिया, नई दिल्ली के नियमों के अंतर्गत ही डिप्लोमा फार्मसी संस्थान का ही संचालन किया जाएगा।

Sworn and Verified
Before Me

18/11/23
SURESH KUMAR

Advocate & Notary Public
(17/175KA/14, Near Major Devi Das Marg
Niwajganj, Chowk, Lucknow

8-यह कि, इस संस्था में फार्मैसी काउंसिल आफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा ।

9-यह कि उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में फार्मैसी काउंसिल आफ इंडिया, नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद/विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित/सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान/विद्यालय/महाविद्यालय/आईटीआई आदि का संचालन न तो पूर्व में कभी किया गया है, और न ही भविष्य में कभी किया जाएगा ।

10-यह कि, संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक क्लास रूम, प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं आदि को फार्मैसी काउंसिल आफ इंडिया, नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुसज्जित किया जाएगा ।

11-यह कि, संस्था के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ की तैनाती सोसाइटी द्वारा सत्र प्रारंभ के पूर्व कर लिया जाएगा ।

12-यह कि, शासन/परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों/आदेशों का भलीभाँति पालन करूँगी यदि मेरे संस्थान में किसी भी समय स्थलीय निरीक्षण में मान्यता अनुसार कोई भी कमी पाई जाती है तो परिषद की निरीक्षण एवं संबद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा एवं मुझे मान्य होगा इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधि कार्रवाई नहीं की जाएगी ।

13-यह घोषणा करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है। यदि दिए गयी जानकारी एवं अभिलेख/दस्तावेज फर्जी कूट रचित अथवा त्रुटिपूर्ण पाए जाते हैं तो मेरे विरुद्ध परिषद द्वारा निर्माण अनुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसे की गई विधिक कार्यवाही हेतु मैं स्वयं उत्तरदाई होऊँगी।

Brijesh

ह0 सचिव

Sworn and Verified
Before Me

SURESH KUMAR

Advocate & Notary Public
417/175KA/14, Near Majar Devi Das Marg
Niwajganj, Chowk, Lucknow

सुधा

ह0 अध्यक्ष